

प्रपत्र—3

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर

वन संरक्षक/व.मं.अ.का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | परियोजना का नाम | :— कांकेर वन मण्डल नरहरपुर परिक्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित राजस्व नारंगी वन कक्ष क्रमांक—1413 में से रकबा 6.50 हेक्टेयर में सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास शाखा कांकेर, जिला—उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) अंतर्गत कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विधालय निर्माण हेतु। |
| 2 | आवेदक/आवेदक विभाग का नाम | :— सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास शाखा कांकेर, जिला—उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) |
| 3 | गैर वानिकी कार्य हेतु जिस हेतु वन भूमि की मांग | :— कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विधालय नरहरपुर |
| 4 | आवेदित क्षेत्र की स्थिति | :— वनभूमि कक्ष—1413 में से रकबा 6.50 हेक्टेयर |
| 5 | वन भूमि का विस्तृत विवरण :— | :— भूमि का वन साईड क्वालिटी IVB घनत्व .04 है,तथा पहाड़ी क्षेत्र से प्रस्तावित भूमि लगभग 05 कि.मी. से 07 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। |
| | (क) राजस्व वनभूमि | :— |
| | (ख) सीमांकित संरक्षित वन (नारंगी वन भूमि) | :— |
| | (ग) असीमांकित संरक्षित वन | :— |
| 6 | (घ) राजस्व वन क्षेत्र | :— |
| 7 | आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति, प्रकार | :— भिन्नित प्रजाति साईट क्वालिटी—III, IVA, IVB, घनत्व 0.4 |
| | आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण | :— |

परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा (हे.में)
नरहरपुर	नारंगी वनभूमि 1413 (खसरा नंबर — 468/1)	6.50
	Total:-	6.50

अ.क्र.	प्रजाति	कुल वृक्षों की संख्या
1	कलमी	18
2	पेल्टाफार्म	22
3	साजा	93
4	सागौन	127
5	सेन्हा	42
6	पलास	54
7	कुसूम	4

8	सलई	2
9	महुआ	23
10	हरा	4
11	बीजा	9
12	तेन्दु	9
13	सफेदसिरस	1
14	अन्य	111
	कुल योग :-	519

पुनरुत्पादन की संभाव्यता के आधार पर पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं है।

आवश्यक नहीं है।

- 8 आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति :—
- 9 आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वन मार्ग आदि से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)) :—
- 10 क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, क्योस्फेयर रिजर्व प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हॉ तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।
- 11 आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।
- 12 आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हॉ तो संक्षिप्त विवरण देवें।

हॉ, कांकेर वनमंडल के परिक्षेत्र नरहरपुर के नारंगी कक्ष क्रमांक—1413 के रकबा 6.50 हेक्टेयर में (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, क्योस्फेयर रिजर्व प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 कि.मी. के अंतर्गत नहीं है।

आवश्यक नहीं है।

आवेदित क्षेत्र में आवेदक विभाग द्वारा अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

वन मणि डलाधिकारी
कांकेर वनमंडल के लिए

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है।
कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विधालय (नरहरपुर) निर्माण हेतु परियोजना निदेशक, सहायक
आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा कांकेर, जिला—उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) द्वारा मांग की गई भूमि
वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल — नहरपुर परिक्षेत्र।
दिनांक — २५./६./२०२२


 वन महल कांकेर
 वनमण्डल कांकेर
 कांकेर वनमण्डल कांकेर

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, कांकेर (छ.ग.)

स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कांकेर वनमंडल के नरहरपुर परिक्षेत्र अंतर्गत वनभूमि कक्ष क्रमांक- 1413 में से परियोजना हेतु प्रस्तावित रकबा 6.50 हेक्टेयर में सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास शाखा कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) अंतर्गत कन्या एकलव्य आवासीय विघालय निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण दिनांक 25/6/22 को मेरे द्वारा किया गया। बिन्दु क्रमांक-xi के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में तिन्सा, हल्दू, भेलवा, सेहरा, अमलतास, घोटिया, शीशम, मुण्डी, सेमल, धामन, खैर, बेल, खम्हार, अर्जुन, पीपल, गिलोय, चिलप्रजाति के वृक्ष तथा सांभर, चौसिंगा, जंगली कुत्ता, बाघ (शेर), तेन्दुआ, भालू व पक्षियों में मोर, बूलबूल, किंगफिशर, कठफोड़वा, तोता, मैना, लावा एवं सर्प में धामन, करैत, नाग, गेहूवन, अजगर, अहिराज प्रजाति के वन्य प्राणीदुलर्भ/ संकटापन्न स्थिति में हैं। बिन्दु क्रमांक -xii के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी देवस्थल मूर्ति स्थापित नहीं है।

परियोजना निदेशक सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास शाखा कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) के द्वारा कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विघालय निर्माण हेतु मांग की गई वन भूमि रकबा 6.50 हेक्टेयर परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

गैर वानिकी प्रयोजन हेतु नारंगी वन कक्ष क्रमांक-1413 में ...5.19... नग वृक्ष मिश्रित प्रजाति के सस्य धारित करते हुए घनत्व 0.4 तक तथा स्थल गुण श्रेणी III, IVA, IVB वन विद्यमान है तथा प्रस्तावित स्थल की समाकृति समतल एवं पहाड़ी है, जिसकी भौमिकी आरकियन तथा मृदा रेतलीडोमट, चिकनीडोमट मृदा के हैं। नरहरपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत परियोजना में प्रभावित वन भूमि का ईको क्लास-III (Open Forest) है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपर्वतन हेतु प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।

सहायक आयुक्त,आदिवासी विकास शाखा कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) अंतर्गत कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विघालय निर्माण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विघालय निर्माण हेतु वन भूमि के व्यपर्वतन की अनुशंसा की जाती है।

आलोक बाजपेई (भा.व.से.)

वन मण्डलाधिकारी,
कांकेर वनमंडल कांकेर